



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART H—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ज्येष्ठ 10, 1939

No. 433]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/ JYAIESTHA 10, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

साकानि. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी संगठन (सिविल) योधक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी संगठन (सिविल) योधक, (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी संगठन (सिविल) योधक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 में—

(क) नियम 2 में, शब्दों 'वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान' के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची में—

(i) क्रम संख्याक 1 पर हैड कास्टेबल (फिटर/लुहार, बढ़ई/राजमिस्त्री, प्लम्बर, वेल्डर, पम्प ऑपरेटर) से संबंधित पद के सामने,—

(अ) स्तरम् (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-4 (रु. 25500-81100/-);

(आ) स्तरम् 11 में—

(i) 'प्रोन्नति' शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 2 का लोप किया जायेगा;

(ii) "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन" के अधीन, टिप्पण - 5 का लोप किया जायेगा;

- (ii) हैंड कार्स्टेबल (पायनियर) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—
 (क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :
 "स्तर - 4 (रु. 25500 - 81100/-);"
 (ख) स्तंभ (11) में—
 (i) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 2 का लोप किया जायेगा;
 (ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन" शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 5 का लोप किया जाएगा;
 (iii) क्रम संख्यांक 3 पर हैंड कार्स्टेबल तकनीकी से संबंधित पद के सामने,—
 (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :
 "स्तर-4 (रु. 25500-81100/-);"
 (आ) स्तंभ (11) में—
 (i) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 2 का लोप किया जायेगा;
 (ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन" शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 5 का लोप किया जाएगा;
 (iv) क्रम संख्यांक 4 पर कार्स्टेबल (बढ़इ, प्लम्बर, वेल्डर, राजमिस्त्री) से संबंधित पद के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—
 "स्तर-3 (रु. 21700-69100/-);"
 (v) क्रम संख्यांक 5 पर कार्स्टेबल (सीवरमैन) से संबंधित पद के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—
 "स्तर-3 (रु. 21700-69100/-);"
 (आ) स्तंभ (11) में, "प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन" के अधीन, टिप्पण - 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 17/112/2016-कार्मिक/सीसुबल]

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 739(अ), तारीख 19 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गये थे उसके बाद सा.का.नि. 689(अ), तारीख 14 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था। प्रशान्ति निकम, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force Engineering Set up (Civil) Combatant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force Engineering Set up (Civil) Combatant (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force Engineering Set up (Civil) Combatant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013,—

- (a) in rule-2, for the words "pay and grade pay or pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
- (b) in the Schedule,—
- (i) against serial number 1 relating to the post of Head Constable (Fitter/Blacksmith, Carpenter/Mason, Plumber, Welder, Pump Operator),—
- (A) for column(4) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix (4)
Level-4 (Rs. 25500-81100/-);

(B) in column (11),—

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation (including short term contract)/Absorption", Note 5 shall be omitted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Head Constable (Pioneer),—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—
"Level-4 (Rs. 25500-81100/-);"

(B) in column (11),—

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation (including short term contract)/Absorption", Note 5 shall be omitted;

(iii) against serial number 3 relating to the post of Head Constable/Technical,—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—
"Level-4 (Rs. 25500-81100/-);"

(B) in column (11),—

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation (including short term contract)/Absorption", Note 5 shall be omitted;

(iv) against serial number 4 relating to the post of Constable (Carpenter, Plumber, Welder, Mason), for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—
"Level-3 (Rs. 21700-69100/-);"

(v) against serial number 5 relating to the post of Constable (Sewerman), for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—
"Level-3 (Rs. 21700-69100/-);"

(B) in column (11);- under heading "Deputation/Re-employment", Note 3 shall be omitted.

[F. No. 17/112/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM, Director (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 739(E), dated the 19th November, 2013 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 689(E), dated the 14th July, 2016.